

दिनांक 31.10.2018
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

स्वच्छ भारत अभियान

जोन 02 वैशाली नगर कार्यालय अंतर्गत वार्ड में गंदगी फैलाये जाने एवं प्रतिबंधित कैरीबैग विक्रय करने वाले
व्यवसायियों से 13200 रुपये अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई।

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री एस०के० सुदरानी के निर्देशानुसार निगम के जोन 02 वैशाली नगर कार्यालय अंतर्गत सहायक राजस्व अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, एवं जोन में पदस्थ्य राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त दल के द्वारा आज जीई रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट के अंतर्गत सड़क बाधा, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग एवं गंदगी फैलाये जाने वाले व्यवसायियों से अर्थदण्ड 13200 रुपये की राशि वसूल कर निगम कोष में जमा किया गया तथा अवैध कब्जे भी हटाये गये।

निगम आयुक्त श्री सुंदरानी ने समस्त जोन आयुक्तों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने प्रभार वाले वार्डों में नियमित रूप से भ्रमण करते हुए अतिक्रमणकारियों के द्वारा निगम से विधिवत् अनुमति प्राप्त किये बगैर किये जा रहे अवैध निर्माण, सार्वजनिक सड़कों पर बाधा पहुंचाने, नालियों के उपर कच्चा-पक्का स्लैब बनाकर किये गये अतिक्रमण, गंदगी फैलाये जाने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग विक्रय करने वाले के संबंध में अर्थदण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करावें।

जनसम्पर्क अधिकारी



